न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 02/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
1. रामप्यारी पुत्री पुनाराम पत्नि अलपुराम उम्र- 36 वर्ष निवासी गांव आसरलाई तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।		1. सरपंच ग्राम पंचायत आसरलाई पंचायत समिति -जैतारण, जिला-पाली(राज.) 2. तहसीलदार, जैतारण तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।

अपील विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 2705 सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार हल्का-आसरलाई तहसील जैतारण निर्णय दिनांक 20.12.2018 में पारित म्यूटेशन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.15/03/2019

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अपीलान्ट।

-:: निर्णयः- दिनॉकः 03/10/2019

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा-आसरलाई तहसील-जैतारण जिला पाली में खसरा नंबर 288 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 289 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा में पूनाराम जी का 1/2 वां हिस्सा की भूमि आती है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 927/1 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा की भूमि भी पूनाराम जी की है। तथा उक्त पूनाराम जी उक्त भूमि के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट के पिता पूनाराम जी ने अपने उक्त खातेदारी भूमि का बख्शीशनामा अपीलान्ट के पक्ष में तैयार करवाकर उक्त बख्शीशनामा का उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के कार्यालय से दिनांक 12.11.2018 को ही पंजीयन करवा दिया गया था। इस बख्शीशनामा के ज़रिये बख्शीशकर्ता ने अपने समस्त हक व अधिकार अपीलान्ट के पक्ष में ट्रास्फर कर दिये थे। उक्त रजिस्ट्रर्ड बख्शीशनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अधिनस्थ हल्का पटवारी ने अपीलाधीन नामान्तकरण तैयार कर बाद जांच के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के समक्ष पेश किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विधिक प्रावधानों से परे जाकर उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में मौके का विवाद होना बताकर अपीलाधीन निर्णय का हवाला देकर उक्त नामान्तकरण को खारिज कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड गिफ्टडिड के आधार पर अपीलाधीन के नामान्तकरण की कार्यवाही की गई थी। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक ने बाद जांच के सही होने की रिपोर्ट की तदुपरान्त ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त नामान्तकरण पेश किया गया। जिसके बाबत मौके स्थिति की जांच करने में ग्राम पंचायत कतई सक्षम नहीं होने के बावजूद भी मौका स्थिति का हवाला देकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय व आदेश पारित किया है। इस प्रकार के रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार बख्शीशकर्ता ने इस अपील में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अपने सारे हक व अधिकार अपीलान्ट के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पक्ष में ट्रास्फर कर दिये। लेकिन अपीलाधीन निर्णय व आदेश से राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं हो पाया है। जिससे अपीलान्ट को भारी परेशानी हो रही है तथा भविष्य में अपीलान्ट को भारी क्षति होने का अंदेशा है तथा माफिक बख्शीशनामा के अनुसार अपीलान्ट उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम करवाने की अधिकारीणी है। रेसपोडेन्ट ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन निणर्य व आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया था। जिससे पूर्व में अपीलान्ट को इस अपीलाधीन के निर्णय के बाबत जानकारी नहीं हो पाई पहली बार 07.03.2019 को अपीलान्ट ने जब अपनी आवश्यकता वश चालू जमाबन्दी प्राप्त की जिसपर अपीलान्ट को इस अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.2018 से जानकारी की दिनांक 07.03.2019 की अवधि को कन्डोन किये जाने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना प्रस्तुत किया है। अपीलाधीन निर्णय व आदेश ग्राम पंचायत आसरलाई द्वारा किया गया होने से अदालत श्रीमान को उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्व प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। हमने प्रकरण में धारा 05 मियाद अधिनियम और अपील पर एक साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी और इस पर मनन किया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2018 से 07.03.2019 के मध्य की विलंब अवधि को माफ करने का निवेदन किया है। उक्त अवधि अल्प ही है एवं ऐसा अल्प विलंब युक्तियुक्त नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं हो सकता, लिहाजा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अवधि युक्तियुक्त होने से स्वीकार करते हुए दिनांक 20.12.2018 से 07.03.2019 के मध्य की अवधि को अल्प एवं युक्तियुक्त मानते हुए समुचित न्याय निर्णयन हेतु माफ किया जाता है।

हमने पत्रावली के संलग्न और अपीलार्थी द्वारा पेश नामांतकरण रजिस्टर ग्राम आसरलाई, पटवार हल्का– आसरलाई तहसील– जैतारण का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि पटवारी, पटवार हल्का आसरलाई ने अपनी रिपोर्ट– ''दिनांक 12.11.2018 को पु.सं./जिल्द संख्या 322 में पृष्ठ संख्या 63 कम संख्या 20180322410420 7 पर पंजीयन होने से बक्शीश का नामांतकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं निर्णयार्थ पेश है।'' के साथ दिनांक 14.12.2018 को भू.अ.नि. निमाज को पेश किया। भू.अ.नि. निमाज ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.12.2018 में अंकित किया– ''रजिस्टर्ड दस्तावेज से मिलान किया गया, इन्द्राज सही है।'' सरपंच, ग्राम पंचायत, आसरलाई द्वारा दिनांक 20.12.2018 को अंकित किया– ''आज दिनांक 20.12.2018 को ग्राम आसरलाई रजि. बक्शीशनामा के आधार पर दर्ज नामांतकरण संख्या 2705 प्रस्तुत किया गया। उक्त नामांतकरण पर मौके पर विवाद है, अतः खारिज किया जाता है। ''

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि पटवारी द्वारा पंजीकृत बक्शीशनामे के आधार पर प्रस्तुत एवं भू.अ.नि. द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में सही होना अंकित करने के बावजूद सरपंच, आसरलाई द्वारा उक्त नामांतकरण को केवल यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया गया कि मौके पर विवाद है। प्रथम तो नामांतकरण के संबंध में कानूनी रूप से केवल ग्राम पंचायत और उसका कॉरम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ही सक्षम है सरपंच या कोई अन्य पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते है। ग्राम पंचायत द्वारा अपनीबैठक में गणपूर्ति उपरान्त प्रस्तुत नामांतकरण प्रकरण पर समुचित चर्चा करते हुए कानूनी रूप से निर्णय लेना होता है जो ग्राम पंचायत की कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव के रूप में दर्ज किया जाना होता है। तथा उक्त प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए उसकी प्रविष्टि नामांतकरण पंजिका में की जानी होती है। प्रश्नगत प्रकरण में इसकी पालना नहीं की गई है, साथ ही सरपंच द्वारा ''मौके पर विवाद होता है'' के आधार पर प्रस्तुत नामांतकरण खारिज कर देना निहायत मनमर्जी पूर्ण एवं स्थापित कानूनी प्रक्रिया का नासमझीपूर्ण उल्लंघन है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत नामांतकरण अपील संख्या 02/2019 रामप्यारी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत– आसरलाई अंतर्गत धारा 75, राज.–भू–राजस्व अधिनियम– 1956 अपीलार्थी द्वारा भलीभांति साबित करने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 2705 ग्राम– आसरलाई, पटवार मण्डल– आसरलाई, तहसील– जैतारण, निर्णय दिनांक 20.12.2018 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जैतारण को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में हितबद्ध सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए प्रकरण में समुचित निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार जैतारण को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/10/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.05 17:18:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: